उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

14 – अशोक मार्ग , शक्ति भवन , लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

पत्रांकः–135–पें0 एवं आर0–28/पांकालि/11–108–पेंशन–31/90, दिनांकः 01 फरवरी, 2011

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, एवं वितरण कम्पनियों तथा उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01 जुलाई 2010 से महंगाई राहत की लागू दरें।

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश संख्या–3494–पें0एंवआर0–28/पाकालि/10–108–पी–31/90, दिनांक 13.08.10, जिसके द्वारा पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत दिनांक 01 जनवरी 2010 से 35 प्रतिशत स्वीकृत की गई थी, के क्रम में राज्य सरकार की अनुरूपता में दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित पेंशन पर कारपोरेशन के समस्त पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को दिनाक 01 जुलाई 2010 से महँगाई राहत की 10 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को अनुमन्य महँगाई राहत में दिनांक 01.07.2010 से 10 प्रतिशत की उपरोक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महँगाई राहत की वर्तमान 35 प्रतिशत की दर बढ़कर 45 प्रतिशत हो जायेगी।
2. महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी उसे नजर अंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे अथवा आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।
3. पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1054–डब्लू0सी0/राविप–औ0स0–19–14 (23) एफ–85, दिनांक 16.06.1988 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत के भुगतान के लिये उप महाप्रबन्धक (लेखा)/उप मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान उपरोक्त प्रस्तर 1 से 3 के अनुसार किया जायेगा।
4. महंगाई राहत की स्वीकृति हेतु पूर्व में निर्गत आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगें।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या :–135(I) पी0एण्डआर0/पाकालि0/2011, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
2. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को–कानपुर/ट्रान्सको, लखनऊ।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।

क्रमशः........(2)

5. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियों/ ट्रांस्को।
6. पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)/विधि अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियों/ट्रांस्को।
9. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (पेंशन), लखनऊ को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
11. सचिव, पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन, विस्तार लखनऊ।
12. अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद, 103–कीर्ति शिखर आपर्टमेन्ट, छितवापुर भुइयन, 12–आफ स्टेशन रोड, लखनऊ।
13. अध्यक्ष, फेडरेशन आफ यू0पी0, पेंशनर्स एसोसिएशन, 18–बी, सेक्टर–ए, महानगर, लखनऊ।
14. मण्डल कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक, 1–2 रघुनाथ नगर, आगरा/156, सिविल लाइन, बरेली/लाला बाबू चौराहा, राजे बाबू रोड, बुलन्दशहर/अल्हादपुर, गोरखपुर/कानपुर रोड, झांसी/पी0एन0बी0 हाउस, बिरहाना रोड, कानपुर/10 अशोक मार्ग, लखनऊ/प्रभात नगर साकेत, मेरठ/पी0एन0बी0 हाउस, राम गंगा बिहार फेस–II, मुरादाबाद/68, कम्बलवाला बाग, मुजफ्फरनगर/एस 20/56 डी, द माल, कैनोडी रोड, वाराणसी।
15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, की वेब साइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
16. कट फाइल।

आज्ञा से,

(एच0सी0लाल)
अनुसचिव (पे0एवंआर0)